(2)उपधारा (1) के अधीन गठित न्यायपीठ, नियत दिन से ही, ऐसी सभी अधिकारिता, शक्तियों और प्राधिकरण का प्रयोग करेगा जो उन तारीख से ठीक पहले किसी सिविल न्यायालय द्वारा निम्नलिखित से संबंधित किसी विषय के बारे में प्रयोक्तव्य थे, अर्थात्:-

(i)सेवा प्रदाताओं के बीच तकनीकी संगतता और अन्तः संबंध;

(ii)विभिन्न सेवा प्रदाताओं के बीच आमदनी बांटने की व्यवस्था;

(iii)दूरसंचार सेवाओं की क्वालिटी और उपभोक्कत्ताओं का हित;

परन्तु इस उपधारा की कोई बात निम्नलिखित से संबंधित विषयों की बाबत लागू नहीं होगी-

(क)एकाधिकार व्यापारिक व्यवहार, अवरोधक व्यापारिक व्यवहार और अनुचित व्यापारिक व्यवहार, जो एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1996 (1969 का 54) की उपधारा (1) के अधीन स्थापित एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग की अधिकारिता के अधीन है;

(ख)उपभोक्तताओं संरक्षण अधिनियम, 19986 की धारा 9 के अधीन स्थापित उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग या राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के समक्ष चनने योग्य किसी व्यष्टिक उपभोक्ता का परिवाद;

(ग)भारतीय तार अधिनियम, 1985 की धारा 7ख की उपधारा (1) में निर्दिष्ट तार प्राधिकारी और किसी अन्य व्यक्ति के बीच विवाद।

देश में निजी सेल्युलर फोन संचालक

43. **श्री राज मोहिन्दर सिंह :**
श्री कपिल सिब्बल:

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क)क्या यह सच है कि देश कि विभिन्न भागों में सेल्युलर फोन संचालक के रूप में निजी क्षेत्र की अनेक कंपनियां कार्यरत हैं;

(ख)यदि हां, तो इस समय किस-किस राज्य में किस-किस कंपनी को कार्य करने हेतु कितनी-कितनी अवधि के लिए लाइसेंस जारी किए गए हैं;

(ग)क्या यह सच है कि इन संस्थानों पर भारी राशि अब भी बकाया हैं; और

(घ)यदि हां, तो दिसंबर, 1998 के अंत में प्रत्येक कंपनी पर कितनी-कितनी राशि बकाया थी तथा इसमें कितनी राशि पर दोनों पक्षों में विवाद हैं?

संचार मंत्रालय राज्य मंत्री श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ :

(क) जी हां।

(ख)कम्पनियों के नाम तथा संबंधित सेवा क्षेत्रों का ब्यौरा विवरण-I मे दिया गया है (नीचे देखिए) इस समय सेल्यूलर सेवा लाइसेंस की अवधि 10 वर्ष है।

(ग)और (घ) जी, हां।

अत्याधिक लाइसेंस शुल्क बकाया है। इसके ब्यौरे विवरण-II में दिए गए हैं (नीचे देखिए) लाइसेंस प्राप्त कम्पिनियों तथा उनकी एसोसिएशन को या तो बकाया देय राशियों का भुगतान करना स्वीकार नहीं हैं या फिर उन्होंने उन लाइसेंस ककी शर्तों को बदलने की मांग की हैं जिनके आधार पर उक्त लाइसेंस शुल्क देय हैं।

विवरण –I
महानगरों / सर्किलों में सेल्यूलर प्रचालकों की सूची

क्रं0सं0 कम्पनी का नाम पता	सेवा क्षेत्र
(क) महानगर	
1. मैसर्ज भारती सेल्यूलर लि0	दिल्ली
2.मैसर्ज स्टलिंग सेल्यूलर लि0	दिल्ली
3. मैसर्ज बीपीएल सिस्टम्ज एण्ड प्रोजेक्टस लि0 बम्बई	बम्बई
4. मैसर्ज हचीसन मैक्स टेलीकॉम लि0	बम्बई
5. मैसर्ज मोदी टेलस्ट्रा प्रा0 लि0	कलकत्ता
6. मैसर्ज उषा मार्टिन टेलीकॉम लि0	कलकत्ता
7. मैसर्ज आर पी जी सेल्यूलर सर्विसेज लि0	मद्रास
8. मैसर्ज स्काईसेल कम्यूनिकेशन्ज प्रा0 लि0	मद्रास
(ख) क्षेत्रीय दूरसंचार सर्किल	
9. मैसर्ज एयरसेल डिजीलिंक इण्डिया लि0	हरियाणा
	उ0 प्र0 (पश्चिम)

क्रं0 सं0 कम्पनी का नाम पता	सेवा क्षेत्र
10. मैसर्ज फासेल लि0	गुजरात
11. मैसर्ज हेक्साकॉम इण्डिया लि0	उत्तर पूर्व
	राजस्थान
12. मैसर्ज जे टी मोबाइल लि0	आंध्र प्रदेश
	पंजाब
	कर्नाटक
13. मैसर्ज कोषिका टेलीकॉम प्रा0 लि0	उत्तर प्रदेश (पू.)
	उत्तर प्रदेश (पश्चिमी
	उड़ीसा
	बिहार
14. मैसर्ज टाटा कम्यूनिकेशन प्रा0 लि0	आन्ध्र प्रदेश
15. मैसर्ज एसकाटेल मोबाइल कम्युनिकेशन्ज प्रा0 लि0	उत्तर प्रदेश (पश्चिमी)
	हरियाणा
	केरल
16. मैसर्ज यू. एस. वेस्ट बीपीएल सेल्यूलर टेलीकॉम	तमिलनाडु
	केरल
	महाराष्ट्र
17. मैर्स्ज् भारती टेलीनेट लि0	हिमाचल प्रदेश
18. मैसर्ज्र आर पी जी सेलकॉम लि0	मध्य प्रदेश
19. मैसर्ज बिरला कम्यूनिकेशन्ज लि0	गुजरात
	महाराष्ट्र
20. मैसर्ज रिलायन्स टेलीकॉम प्रा0 लि0	मध्य प्रदेश बंगाल
	उड़ीसा
	बिहार
	उत्तर पूर्व
	असम
	हिमाचल प्रदेश
21. मैसर्ज मोदी कॉम नेटवर्क प्रा0 लि0	पंजाब
	कर्नाटक
22. मैसर्ज श्री निवास सेलकॉम लि0	तमिलनाडु

विवरण –II

31.12.1998 की स्थिति के अनुसार, प्रचालकों की ओर देय बकाया लाइसेंस शुल्क (इसमें ब्याज शामिल नहीं हैं) के ब्यौरे

कम्पनी का नाम	बकाया राशि
सर्किल	(रूपयों में)
मैसर्ज एयरसेल डिजीलिंक इण्डिया लि0	2037154009.00
मैसर्ज बिरला कम्यूनिकेशन्ज लि50	313800000.00
मैसर्ज फास्सेल लि0	2446500000.00
मैसर्ज एस्काटेल मोबाइल कम्यूनिकेशन्ज	528730908.00

कम्पनी का नाम	बकाया राशि
मैसर्ज हेक्साकॉम इण्डिया लि0	434340908.00
मैसर्ज जे टी मोबाइल कम्यूनिकेशन्ज लि0	634818182.00
मैसर्ज कोषिका टेलीकॉम प्रा0 लि0	2991129250.00
मैसर्ज मादीकॉम नेटवर्क लि0	18192954543.00
मैसर्ज आरपीजी सेल्कॉम लि0	34772727.00
मैसर्ज टाटा कम्युनिकेशन्ज लि0	910000000.00
मैसर्ज बीपीएल यू एस वेस्ट	1915900000.00
मैसर्ज रिलायन्स	752641477.00
कुल सर्किल (क)	23350305634.00
महानगर	
मैसर्ज मोदी टेल्स्ट्रा	79239250.00
मैसर्ज भारती	28741200.00
मैसर्ज बीपीएल सिस्टम्ज	264453550.00
मैसर्ज उषा मार्टिन	10712750.00
मैसर्ज आरपीजी सेल्यूलर	97838175.00
मैसर्ज स्काईसेल कम्यूनिकेशन्ज	17555225.00
मैसर्ज हचीसन मैक्स	18427650.00
कुल महानगर (ख)	920664350.00
कुल बकाया (क+ख) 24270969984.00	(रू0 2427. 10 करोड़)

Shortage of Postal Stamps in Nalanda District of Bihar

44. SHRIMATI MALTI SHARMA: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the extra department post offices in rural areas of Nalanda District, Bihar are not being provided-postal stamps as per their requirements;

(b) if so, what are the reasons therefor, and

(c) what steps are proposed to be taken to ensure that there is no shortage of postal stamps in rural areas of Nalanda district in particular and Bihar in general?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI KABINDRA PURKAYASTHA): (a) No, Sir, Postage stamps and stationeries are begin provided in rural post offices of Nalanda District regularly.

(b) In view of (a) above question does not arise.

(c) There is no shortage of postage stamps in Nalanda district *or* anywhere in Bihar. Supplies are made regularly to all Post Offices in rural areas according to their demand.

Requirement of Funds for New Phone Lines

45. SHRI DIPANKAR MUKHERJEE: SHRI NILOTPAL BASU: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether Government are aware of the news-item captioned "Rs. 100,000 CR. NEEDED FOR NEW PHONE LINES IN NINTHPLAN" published in THE TIMES OF INDIA" dated the 27th January, 1999;

(b) whether the document has taken into consideration the recommendations of the Telecom Regulatory Authority of India on tariff for basic telephone services which essentially imply a major erosion of DOT/MTNL's capacity to subsidize small subscriber and backward regions, and

(c) if so, the details as to how Government will address the two speical focus areas of